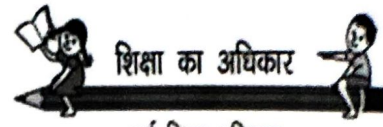




महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



विपुल भाव

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: गुण०वि०/स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई०सी०टी० लैब-SOP/13026/2023-24 दिनांक 25 जनवरी, 2024

विषय: परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत टेबलेट के उपयोग, रख-रखाव एवं कक्षा-शिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय/महोदया,

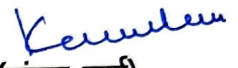
कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/टेबलेट/8688/2023-24 दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 (संलग्नक-1) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई०सी०टी० लैब-SOP/10243/2023-24 दिनांक 10 नवम्बर, 2023 (संलग्नक-2) के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत टेबलेट, स्मार्ट क्लास सेटअप तथा आई०सी०टी० लैब के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे उपकरणों के उपयोग, रख-रखाव एवं कक्षा-शिक्षण हेतु दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं। तत्कम में टेबलेट के उपयोग के संबंध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

1. राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई०सी०टी० लैब-SOP/10243/2023-24 दिनांक 10 नवम्बर, 2023 में टेबलेट, आई०सी०टी० लैब एवं स्मार्ट क्लास के माध्यम से डिजिटल कंटेंट्स द्वारा पठन-पाठन के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त डिजिटल संसाधनों के माध्यम से कक्षा शिक्षण के संबंध में निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। इसके साथ ही 'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क' के अंतर्गत निर्धारित मॉड्यूल्स यथा-गुणवत्ता मॉड्यूल, कायाकल्प मॉड्यूल, एस०एम०सी० गतिविधियाँ मॉड्यूल, मध्याह्न भोजन मॉड्यूल, मानव सम्पदा पोर्टल तथा डी०बी०टी० मॉड्यूल एवं पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन आदि का क्रियान्वयन उपलब्ध कराये जा रहे डिजिटल संसाधनों के माध्यम से किया जाये।
2. परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इण्टरनेट की सुविधा हेतु व्यय कम्पोजिट ग्रांट से किये जाने के लिये राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-10384/2023-24 दिनांक 16 नवम्बर, 2023 (संलग्नक-3) एवं पत्रांक-नि०का०/स०शि०/क०स्कूल ग्रांट/10926/2023-24 दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 द्वारा जनपदों को विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
3. राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-महा०नि०/एम०आई०एस०/9162/2023-24 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (संलग्नक-4) द्वारा मण्डल, जनपद स्तर पर एवं सुपर ब्लॉक-100 हेतु ऑनलाइन बैठकें आयोजित कराये जाने के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेन्स की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपलब्ध करायी गयी सुविधा का महत्तम प्रयोग करते हुये प्रधानाध्यापकों, ए०आर०पी० एवं शिक्षक संकुल की बैठक समय और मितव्ययता के दृष्टिगत zoom license के माध्यम से आयोजित करायी जायें।

- खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा zoom license के माध्यम से आयोजित करायी जाने वाली ऑनलाइन बैठकों में सर्वसंबंधित को टेबलेट्स के अधिकाधिक उपयोग के संबंध में अभिमुखीकरण किया जाये तथा ऑनलाइन विभागीय बैठकों में टेबलेट के माध्यम से प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी जाये।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा टेबलेट्स के प्रयोग का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर टेबलेट्स के उपयोग के संबंध में समस्त संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीया,


(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

गुण0वि0 / स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई0सी0टी0 लेब -SOP / — / 2023-24

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

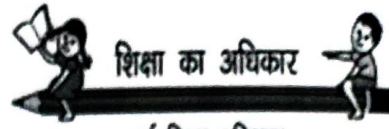
1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्क, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (एम0आई0एस0), समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. गार्ड फाईल।


(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: गुण०वि० / स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई०सी०टी० लैब-SOP / 13026 / 2023-24 दिनांक 25 जनवरी, 2024

विषय: परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत टेबलेट के उपयोग, रख-रखाव एवं कक्षा-शिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय / महोदया,

कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/टेबलेट/8688/2023-24 दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 (संलग्नक-1) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई०सी०टी० लैब-SOP/10243/2023-24 दिनांक 10 नवम्बर, 2023 (संलग्नक-2) के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत टेबलेट, स्मार्ट क्लास सेटअप तथा आई०सी०टी० लैब के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे उपकरणों के उपयोग, रख-रखाव एवं कक्षा-शिक्षण हेतु दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं। तत्कम में टेबलेट के उपयोग के संबंध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

1. राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई०सी०टी० लैब-SOP/10243/2023-24 दिनांक 10 नवम्बर, 2023 में टेबलेट, आई०सी०टी० लैब एवं स्मार्ट क्लास के माध्यम से डिजिटल कंटेंट्स द्वारा पठन-पाठन के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त डिजिटल संसाधनों के माध्यम से कक्षा शिक्षण के संबंध में निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। इसके साथ ही 'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क' के अंतर्गत निर्धारित मॉड्युल्स यथा-गुणवत्ता मॉड्यूल, कायाकल्प मॉड्यूल, एस०एम०सी० गतिविधियाँ मॉड्यूल, मध्यान्ह भोजन मॉड्यूल, मानव सम्पदा पोर्टल तथा डी०बी०टी० मॉड्यूल एवं पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन आदि का कियान्वयन उपलब्ध कराये जा रहे डिजिटल संसाधनों के माध्यम से किया जाये।
2. परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इण्टरनेट की सुविधा हेतु व्यय कम्पोजिट ग्राण्ट से किये जाने के लिये राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-10384/2023-24 दिनांक 16 नवम्बर, 2023 (संलग्नक-3) एवं पत्रांक-नि०का०/स०शि०/क०स्कूल ग्राण्ट/10926/2023-24 दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 द्वारा जनपदों को विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
3. राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-महा०नि०/एम०आई०एस०/9162/2023-24 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (संलग्नक-4) द्वारा मण्डल, जनपद स्तर पर एवं सुपर ब्लॉक-100 हेतु ऑनलाइन बैठकें आयोजित कराये जाने के लिये वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग लाइसेन्स की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपलब्ध करायी गयी सुविधा का महत्तम प्रयोग करते हुये प्रधानाध्यापकों, ए०आर०पी० एवं शिक्षक संकुल की बैठक समय और मितव्ययता के दृष्टिगत zoom license के माध्यम से आयोजित करायी जायें।

- खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा zoom license के माध्यम से आयोजित करायी जाने वाली ऑनलाइन बैठकों में सर्वसंबंधित को टेबलेट्स के अधिकाधिक उपयोग के संबंध में अभिमुखीकरण किया जाये तथा ऑनलाइन विभागीय बैठकों में टेबलेट के माध्यम से प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी जाये।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा टेबलेट्स के प्रयोग का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर टेबलेट्स के उपयोग के संबंध में समस्त संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

तद्दिनांक।

गुण0वि0 / स्मार्ट क्लास, टेबलेट, आई0सी0टी0 लैब -SOP / 13026 / 2023-24

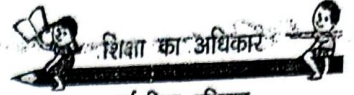
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्क, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (एम0आई0एस0), समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. गार्ड फाईल।

Kanchan
(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



लिपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: गुण0वि0/टेबलेट/10304/2023-24

दिनांक: 16 नवम्बर, 2023

विषय: लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण0वि0/टेबलेट/8688/2023-24 दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स की आपूर्ति, वितरण एवं पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। इसके साथ ही राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण0वि0/स्मार्ट क्लास, टेबलेट एवं आई0सी0टी0 लैब/10243/2023-24 दिनांक 10 नवम्बर, 2023 द्वारा टेबलेट, स्मार्ट क्लास सेटअप एवं आई0सी0टी0 लैब के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे उपकरणों के उपयोग, रख-रखाव एवं कक्षा-शिक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त के संबंध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

1. परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इण्टरनेट की सुविधा (माह नवम्बर, 2023 से मार्च, 2024 तक) हेतु व्यय कम्पोजिट ग्राण्ट से किया जायेगा। सिम कार्ड एवं इण्टरनेट की सुविधा (माह नवम्बर, 2023 से मार्च, 2024 तक) हेतु कम्पोजिट ग्राण्ट से 01 टेबलेट हेतु अधिकतम रू0 1500/- तथा 02 टेबलेट हेतु अधिकतम रू0 3000/- मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसका समायोजन विद्यालय को प्राप्त होने वाली कम्पोजिट ग्राण्ट से यथासमय किया जायेगा। सिम का क्रय स्थानीय स्तर पर मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत किया जायेगा।
2. विद्यालय अवधि में टेबलेट सम्बन्धित प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठतम सहायक अध्यापक की कस्टडी में होगा तथा उसका प्रयोग अभीष्ट उद्देश्यों के लिये किया जायेगा। विद्यालय बन्द हो जाने पर सम्बन्धित प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठतम सहायक अध्यापक टेबलेट अपने साथ घर ले जा सकेंगे एवं विद्यालय आने पर अपने साथ लायेंगे। उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट का सुरक्षित रखरखाव सम्बन्धित प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठतम सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

गुण0वि0/टेबलेट/ 10304 /2023-24 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), संबंधित जनपद, उ0प्र0।

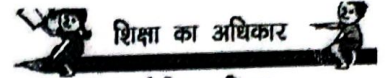

 (विजय किरन आनन्द)
 राज्य परियोजना निदेशक



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



विद्यया ऽ मृतमश्नुते

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा
एवं राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उ०प्र०।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सुपर 100 ब्लॉक सम्बन्धित जनपद।

पत्रांक: महा०नि०/एम.आई.एस./ 9162 /2023-24 दिनांक: 19 अक्टूबर, 2023

विषय:-मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आहूत करने हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत होना चाहें, कि शासन/विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सतत समीक्षा करना उनको समयान्तर्गत लागू करने के लिए पुष्टि व्यवस्था है। इसी क्रम में राज्य स्तर द्वारा समय-समय पर जनपदस्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की जाती है। तदक्रम में मण्डल/जनपद/ब्लाक स्तर से भी यह अपेक्षा रहती है कि जनपद स्तर द्वारा ब्लॉकस्तरीय अधिकारियों तथा विद्यालय के प्रधानाचार्यों की भी उक्त कार्यक्रमों के सापेक्ष समीक्षा तथा अन्य अनुश्रवण की गतिविधियाँ की जाएँ। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये विभाग द्वारा निर्णय लिया गया था कि समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तथा कतिपय अच्छा प्रदर्शन करने वाले खण्ड शिक्षा अधिकारियों को ऑनलाइन मीटिंग के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया जाये। अतएव ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर हेतु राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस निम्नलिखित विवरणानुसार वितरित किया जा रहा है-

- मण्डल स्तर पर प्रति मण्डल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस - 18
- जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेतु - 75 (प्रति जनपद एक)
- सुपर ब्लाक-100 हेतु प्रति विकास खण्ड एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस - 100

इस सम्बन्ध में समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी सुपर 100 ब्लॉक द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जानी है-

1. वर्चुअल मीटिंग सॉल्यूशन्स के माध्यम से की गई ऑनलाइन बैठकों की मॉनिटरिंग राज्य स्तर से सम्भव हो सकेगी। अतः सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक माह में जो निर्धारित बैठके हैं (ब्लॉक स्तर, शिक्षक संकुल एवं जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी) उनको अवश्य आहूत किया जाये और उनमें समस्त प्रतिभागी जिन्हें प्रतिभाग करना है अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। इसकी रिपोर्ट भी समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी सुपर 100 ब्लॉक को उपलब्ध कराई जायेगी जिससे कि प्रतिभाग न करने वाले प्रतिभागियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जा सकेगा।

2. समय और मितव्ययिता की दृष्टि से ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा देना हम सभी तथा विभाग के लिये आवश्यक है तथा यथा सम्भव बैठकें जिनमें 50 से ज्यादा प्रतिभागी वांछित हैं, ऑनलाइन ही आयोजित की जायेंगी।
3. वर्तमान लाइसेंस सॉफ्टवेयर में प्रति बैठक में अधिकतम 1000 प्रतिभागी ही प्रतिभाग कर सकते हैं। परन्तु जनपद स्तर से 1000 से अधिक प्रतिभागियों की एक साथ समीक्षा बैठक की जानी है तो उक्त के लिए एक से अधिक लाइसेंस का प्रयोग करते हुये एक साथ दो या तीन लाइसेंस में लॉगइन कर BSA एक साथ दो से तीन हजार विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से दो तरफा संवाद कर सकेंगे।
4. उपरोक्त वर्णित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस का प्रयोग करते हुये मीटिंग शेड्यूल करना, मीटिंग सॉफ्टवेयर के विभिन्न विशिष्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मीटिंग से सम्बन्धित रिपोर्ट्स निकालना तथा अन्य विशेषताओं से अवगत कराने हेतु राज्य स्तर पर एक हैण्ड्स ऑन प्रशिक्षण एवं कार्यशाला माह नवम्बर, 2023 में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर लखनऊ में प्रस्तावित है।
अतः अपेक्षित है कि उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अपने मण्डल/जनपद तथा ब्लॉक (सुपर 100) में कम्प्यूटर दक्षता में भिन्न एक प्रतिनिधि लैपटॉप के साथ बैठक में नामित करते हुये बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें। बैठक की तिथि पृथक से प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक
एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उ०प्र०।

पृ०स०: महा०नि०/एम.आई.एस./ 1162 /2023-24 तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
5. मैसर्स पेन्टेकल आई०टी० सॉल्यूशन प्रा०लि० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रतिभागियों का प्रशिक्षण कराने का कष्ट करें।
6. वैयक्तिक सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, लखनऊ।
7. कार्यालय गार्ड फाइल।


(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक
एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उ०प्र०।